संख्या- 40 /2017/165/69-1-2017-29(म0ब0-83)/2016

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक :03 मार्च, 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2016-17 में शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग,जल निकासी,नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5067/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2016-17, दिनांक 25 जनवरी, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद-जौनपुर की नगर पालिका परिषद शाहगंज व जौनपुर तथा न0पं0 खेतासराय, मडियाहूँ व केराकत की विभिन्न मलिन बस्तियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 08 परियोजनाओं हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से शासनादेश संख्या-622/2016/1820/69-1-16-29(म0ब0-83)/2016 दिनांक 29 सितम्बर, 2016 द्वारा रू0 118.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 59.155 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट में उपलब्ध धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रू0 59.155 लाख (रूपये उनसठ लाख पन्द्रह हजार पांच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
3. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकीस्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3/3/17

784/

4. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
5. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इूडा का होगा।
15. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

-3/

http://shiadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 40 /2017/165/69-1-2017-29(म0ब0-83)/2016 दिनांक 03 मार्च, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	परियोजना की कुल लागत	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जौनपुर	न0पा0प0 शाहगंज	वार्ड नं0-11 के मो0 नई आबादी द्वितीय की अनुसूचित जाति मलिन बस्ती में प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	6.72	3.36
2	तदैव	न0पा0प0 जौनपुर	वार्ड नं0-05 के मो0 नईगंज अनुसूचित जाति मलिन बस्ती में प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	16.92	8.46
3	तदैव	न0प0 खेतासराय	वार्ड नं0-03 के मो0 पोस्ट आफिस अनुसूचित जाति मलिन बस्ती में प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	9.86	4.93
4	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-06 के सोंधी वार्ड अनुसूचित जाति मलिन बस्ती में प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	22.88	11.44
5	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-4 के मो0 भारतीय विद्यापीठ अनुसूचित जाति मलिन बस्ती में प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	10.01	5.005
6	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-01 के मो0 सरवरपुर अनुसूचित जाति मलिन बस्ती में प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	12.99	6.495
7	जौनपुर	न0पं0 मड़ियाहू	वार्ड नं0-09 के मो0 सदरगंज पश्चिमी अनुसूचित जाति मलिन बस्ती में प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	19.48	9.74
8	जौनपुर	न0पं0 केराकत	वार्ड नं0-02 के मो0 नरहन द्वितीय अनुसूचित जाति मलिन बस्ती में प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	19.45	9.725
योग				118.31	59.155

(रूपये उनसठ लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ मात्र)।

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in